भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 695

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

महिला सशक्तीकरण

695. डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्री लुम्बा राम:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री गणेश सिंह:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री विजय बघेल:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्रीमती कमलजीत सहरावत:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्री बंटी विवेक साहू:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
डॉ. राजेश मिश्रा:
सुश्री बांसुरी स्वराज:
श्री सुरेश कुमार कश्यप:
श्री नव चरण माझी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) किसी राष्ट्र के मजबूत नींव के रूप में महिलाओं को सशक्त करने का क्या महत्व और आवश्यकता है;

(ख) क्या मिशन शक्ति, मिशन पोषण 2.0 और मिशन वात्सल्य जैसी पहलें देश में सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायता कर रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जमीनी स्तर पर महिलाओं के योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के सशक्तीकरण में उक्त योजनाओं के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शामिल करके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के कवरेज में कोई वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) समेकित बाल सेवाएं प्रदान करने के लिए सुसज्जित आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण में मिशन सक्षम आंगनवाड़ी की क्या भूमिका है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस उद्देश्य से, सरकार ने महिलाओं के शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर उनके मुद्दे का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है ताकि वे तीव्र और सतत राष्ट्रीय विकास में समान भागीदार बन सकें। यह 'महिला प्रेरित विकास' वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को साकार करने के लिए आवश्यक है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिन्हें तीन भागों में बांटा गया है: (1) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; (2) देश में पोषण संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0; तथा (3) बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य। इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए हस्तक्षेप को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर अभिसरण में सुधार के लिए कार्यनीतियों के प्रस्ताव पर जोर देना है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा तथा महिला सशक्तीकरण के लिए दो उप-योजनाएं 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं।

“संबल” उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत के घटक शामिल हैं।

क. **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)-** जिला स्तर पर स्थित एक संस्था जो संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, चिकित्सा एवं पुलिस सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता जैसी तत्काल सहायता प्रदान करती है।

ख. **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल) -** महिला हेल्पलाइन 181 सहायता और जानकारी चाहने वाली महिलाओं को 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। इसे सभी आपातकालीन सेवाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है और सभी वन स्टॉप सेंटरों के साथ एकीकरण का काम प्रगति पर है।

ग. **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) -** बीबीबीपी मानसिकता में बदलाव लाने वाला एक कार्यक्रम है जो बहु-क्षेत्रीय पहलों के माध्यम से बालिकाओं के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने में मदद करता है।

घ. **नारी अदालत-** एक ऐसा मंच है जो महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से समाधान के माध्यम से त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है। इसे असम तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की 50-50 ग्राम पंचायतों में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है।

"सामर्थ्य" उप योजना महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना तथा संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) के घटक शामिल हैं।

क. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-** पीएमएमवीवाई एक केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे 5,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। पात्र लाभार्थियों को दूसरा बच्चा बालिका होने पर पीएमएमवीवाई के तहत 6,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।

ख. **शक्ति सदन-** शक्ति सदन संकटग्रस्त एवं कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है।

ग. **सखी निवास-** सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे निधि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, जहां महिलाओं के

लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।

घ. **पालना-** पालना योजना डे-केयर क्रेच सुविधाओं के माध्यम से बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित स्थान प्रदान करती है। क्रेच सेवाएं अब तक घरेलू काम का हिस्सा मानी जाने वाली बाल देखभाल सुविधाओं को औपचारिक बनाती हैं और अंतिम लाभार्थी तक देखभाल सुविधाओं की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी अवसंरचना का प्रयोग करती हैं।

ङ. **संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)** - संकल्प: एचईडब्ल्यू महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान के अंतर को पाटने के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। यह मिशन शक्ति के तहत सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) का भी कार्य करता है।

(ii) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरी योजना को 3 प्राथमिक खंडों में पुनर्गठित किया गया है: (i) 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता; (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना।

(iii) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना (आईसीपीएस)) एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सीएनसीपी) और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए बेहतर पहुंच और सुरक्षा हेतु सेवाएं प्रदान की जा सकें जिसमें मिशन मोड में संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल शामिल है, जिसका उद्देश्य है: (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों को सहायता और सहारा देना (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना (iii) अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना (iv) आवश्यक होने पर गैप फंडिंग द्वारा अभिसरण कार्रवाई को मजबूत करना। यह योजना चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए आपातकालीन आउटरीच सेवाएं (24x7) भी प्रदान करती है।

ये पहल महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों का समाधान करने और हिमाचल प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों सहित देश में स्थायी सामाजिक बदलाव लाने के लिए महिलाओं और बाल कल्याण के प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करते हुए बनाई गई परिवर्तनकारी योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य कमजोर आबादी के लिए अधिक समावेशी, न्यायसंगत और सहायक वातावरण बनाना है।

शुरू से लेकर अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत कवर किए गए/सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ङ): वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के दौरान सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज देने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की लगभग 8.15 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं जहां सरकारें एबी-पीएमजेएवाई को कार्यान्वित नहीं कर रही हैं।

(च): 15वें वित्त आयोग में, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के लिए पोषण सहायता के घटकों; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) और आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी बुनियादी ढांचे को इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और अंतिम लाभार्थियों को बेहतर पोषण वितरण के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत पुनर्गठित किया गया है।

आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की बुनियादी सुविधा में सुधार करने के लिए मंत्रालय द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल सुविधाओं और शौचालयों के लिए वित्त पोषण को क्रमशः 10,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये और 12,000 रुपये से बढ़ाकर 36,000 रुपये करना शामिल है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत, प्रति वर्ष 10000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से पांच वर्षों की अवधि में 50000 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण का प्रावधान है। मनरेगा के साथ अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंड 7 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र से संशोधित कर 12 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है जिसमें 8.00 लाख रुपये मनरेगा के तहत, 2.00 लाख रुपये 15वें वित्त आयोग (या किसी अन्य असंबद्ध निधि) के तहत और 2.00 लाख रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लागत साझाकरण अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किए जाएंगे।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एमपीएलएडी, आरआईडीएफ, पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, नरेगा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के एमएसडीपी आदि जैसी विभिन्न योजनाओं से आंगनवाड़ी केंद्रों के भवनों के निर्माण के लिए धन प्राप्त करना जारी रखने की सलाह दी गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे आंगनवाड़ी केंद्रों को, जो पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे हैं, पास के प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करें, जहां स्थान उपलब्ध हो।

15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान, प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण वितरण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास प्रदान करने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नत किया जाना है। सक्षम आंगनवाड़ियों को पारंपरिक आंगनवाड़ी केंद्रों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाना है जिसमें इंटरनेट/वाई-फाई कनेक्टिविटी, एलईडी स्क्रीन, वाटर प्यूरीफायर/आरओ मशीन की स्थापना और स्मार्ट लर्निंग उपकरण शामिल हैं।

इसके अलावा, सरकार ने एक कार्यकर्त्री वाले सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्त्री और एक सहायिका के साथ पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नत करने का भी निर्णय लिया है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन प्रदान करते हुए तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लिकेशन पोषण ट्रैकर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले भौतिक रजिस्टरों को डिजिटल बना दिया है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और साथ ही उन्हें एक साथ चल रही सभी गतिविधियों की रीयल टाइम निगरानी करने की सुविधा मिली है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के अलावा, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को भी स्मार्टफोन प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, पर्यवेक्षकों और ब्लॉक समन्वयकों को डेटा रिचार्ज सहायता प्रदान की जाती है।

कुपोषित बच्चों की पहचान करने और समय पर कार्रवाई करने के लिए विकास मापदंडों की नियमित निगरानी आवश्यक है। इसलिए, आंगनवाड़ी केंद्रों को इन्फैंटोमीटर, स्टेडियोमीटर, शिशु वजन मापने वाला पैमाना, माता और बच्चे का वजन मापने वाला पैमाना जैसे विकास निगरानी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।

*****

अनुलग्नक

"महिलाओं का सशक्तीकरण" के संबंध में 29.11.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 695 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित अनुलग्नक

विभिन्न योजनाओं के प्रारंभ से इनके अंतर्गत कवर/सहायता प्राप्त लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या		
		ओएससी (31.10.2024 तक)	डब्ल्यूएचएल (31.10.2024 तक)	पीएमएमवीवाई (26.11.2024 तक)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2006	254	9193
2	आंध्र प्रदेश	42437	12260	1748099
3	अरुणाचल प्रदेश	2295	1890	30330
4	असम	23917	27125	1275830
5	बिहार	40469	55649	3468749
6	चंडीगढ़	1682	82255	36985
7	छत्तीसगढ	45965	34471	998817
8	दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव	1235	1093	22433
9	दिल्ली	21120	4412802	473089
10	गोवा	7051	41005	30828
11	गुजरात	38468	1460844	1448683
12	हरियाणा	44478	21654	858541
13	हिमाचल प्रदेश	3376	43417	306815
14	जम्मू एवं कश्मीर	12581	10684	409130
15	झारखंड	5115	70617	871639
16	कर्नाटक	28073	33243	2613804
17	केरल	20620	152353	1081633
18	लद्दाख	79	111	6971
19	लक्षद्वीप	0	0	2281
20	मध्य प्रदेश	104072	119485	4231228
21	महाराष्ट्र	33698	116055	3590812
22	मणिपुर	1746	1194	77522
23	मेघालय	4004	4059	61187

24	मिजोरम	1872	19656	41176
25	नागालैंड	1394	3245	39086
26	ओडिशा	21891	42033	6
27	पुदुच्चेरी	465	355	38736
28	पंजाब	19566	268674	676444
29	राजस्थान	47837	71931	2551557
30	सिक्किम	1637	582	14914
31	तमिलनाडु	96173	131669	1561262
32	तेलंगाना	68310	64500	0
33	त्रिपुरा	828	556	123910
34	उत्तर प्रदेश	254873	807340	5882393
35	उत्तराखंड	8485	51735	381095
36	पश्चिम बंगाल	4541	0	1638005
	योग	**1012359**	**8164796**	**36603183**

*****